न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 359/2016 **दायरा दिनांक : 24.10.2016**

उनवान

मंदिर मूर्ति श्री रामजानकी जी बिराजमान बीलखेडा माल तहसील शाहबाद, जिला बारां

1— रामस्वरूप आयु 46 वर्ष पुत्र नारायणलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— शिवलाल, आयु 52 वर्ष पुत्र मुकन्दी लाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3— खैरू आयु 55 वर्ष पुत्र रंगी लाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

4— रामचरण आयु 65 वर्ष पुत्र औंकारलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

5— बालकिशन आयु 60 वर्ष, पुत्र इमतरलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

6— गोपाल आयु 42 वर्ष पुत्र अर्जुनलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

7— मानसिंह आयु 45 वर्ष पुत्र बाबू लाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

8— सूरज मेहता आयु 45 वर्ष पुत्र कल्ला, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

9— सुआलाल आयु 52 वर्ष पुत्र देवी लाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

10— कंचनलाल आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरा लाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

11— मरिया मेहता आयु 60 वर्ष पुत्र गोविन्दलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

12— काशीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र मिश्रीलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

13— रामचरण मेहता आयु 58 वर्ष, मूला, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

14— चम्पालाल आयु 60 वर्ष पुत्र छोटेलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

15— श्रीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र भूरा, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

16— रामजीलाल मेहता आयु 65 वर्ष पुत्र भूरा, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

17— सीताराम आयु 60 वर्ष पुत्र छीतरिया, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

18— राजाराम मेहता आयु 38 वर्ष पुत्र मन्नूलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

19— पृथ्वीराज आयु 50 वर्ष पुत्र श्रीया मेहता, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

20— चिरोजीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र नारायण लाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

21— रामजीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र औंकारलाल, जाति किराड, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामवीर आयु 40 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— लखन आयु 37 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3— मनोज आयु 30 वर्ष पुत्र बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

4— गुड्डी आयु 45 वर्ष पुत्री बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

5— राधा आयु 35 वर्ष पुत्री बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

6— अनसुईया आयु 28 वर्ष पुत्री बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

7— रामकली आयु 30 वर्ष बेवा बाबूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी बीलखेडा माल, तहसील शाहबाद, जिला बारां

8— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री चन्द्रमोहन वर्मा एवं श्री बृजराजसिंह चौहान

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 04.12.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या — 3/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 55.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बीलखेडा, तहसील शाहबाद में जमाबंदी सम्वत 2067–68 से खाता संख्या नया 215 पुराना 215 की आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 439 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 521 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 548 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 589 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 931/434 रकबा 5 बिस्वा कुल 7 किता की 22 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के खाते में स्थित है । खसरा नम्बर 439, 521, 548, 585, 589 वाद की विषयवस्तु है । इनके साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2016–19 के अनुसार खसरा नम्बर 60 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 78 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 4 किता की 12 बीघा 3 बिस्वा आराजी थी और राजस्व रेकार्ड में यह आराजी माफी श्री रामजानकी बिराजमान ग्राम बीलखेडी बकब्जा औंकार बेटा कडोरी व मु0 जीवनी बेवा भेरो लाल बाट बराबर दर्ज थी । सैटलमेंट विभाग ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों से मिलीभगत करके आराजी के अन्य खसरा नम्बर 439, 521, 548, 585, 589 कायम किये और आराजी औंकार पुत्र कडोरी के खाते दर्ज कर दी, जो गलत है । आराजी मूर्ति मंदिर के खाते की थी और ग्रामवासियान मंदिर के तेल भोग की व्यवस्था आदि के खर्चे के लिए काम में लेते हैं । औंकार के मरने के बाद आराजी उनके वारिस बाबूलाल के खाते में नामान्तरकरण संख्या 425 से दर्ज की गई और बाबूलाल के मरने के बाद नामान्तरकरण संख्या 471 से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई । आराजी माफी की है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । अतः दावा

वादीगण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को मूर्ति मंदिर रामजानकी जी के खाते दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.02.2016 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रकबा मिलान न होना मानकर दावा खारिज किया है । तहसीलदार शाहबाद से रकबा मिलान के बारे में स्पष्टीकरण मंगवाया जा सकता था । गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 07.04.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खाते की थी गलत रूप से औंकार के खाते में दर्ज की गई और औंकार की मृत्यु के बाद बाबूलाल के खाते में और उसकी मृत्यु के बाद

प्रतिवादीगण के खाते मे दर्ज की गई । वादग्रस्त आराजी मंदिर के खाते की है और मंदिर की सेवा पेजा की व्यवस्था अपीलांटगण करते हैं । रेस्पोडेंटगण आराजी खाते में दर्ज होने के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ नयायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2016–19 एक्जीविट–1 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी कुल 4 किता की 12 बीघा 3 बिस्वा माफी श्री रामजानकी जी बिराजमान के खाते में दर्ज है । इसके खसरा नम्बर 60, 78, 112, 115 है । नकल जमाबंदी सम्वत 2020–39 एक्जीविट–2 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 439, 521, 548, 585, 589 कुल 5 किता की 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी औंकार पुत्र कडोरी के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2059–62 एक्जीविट–3 के अनुसार यह आराजी बाबू लाल के खाते में दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 471 का नोट अंकित है जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज हुई है । नकल जमाबंदी सक्वत 2067–70 एक्जीविट–4 के अनुसार कुल 7 किता की 22 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है जिसमें वादग्रस्त आराजी के अलावा खसरा नम्बर 168 और 931/434 की आराजी भी शामिल है । एक्जीविट–5 खसरा गिरदावरी सम्वत 2020–23 है । एक्जीविट–6 नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी है । इसके अलावा बयान रामस्वरूप पी डब्ल्यू 1 कुछ शपथ पत्र पत्रावली पर सलंग्न है जिसमें पी डब्ल्यू 2, पी डब्ल्यू 3, पी डब्ल्यू 4, पी डब्ल्यू 5, पी डब्ल्यू 6 अंकित है परन्तु इन शपथ ग्रहिता ने

न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र को तस्दीक नहीं किया है । इसलिए इनको गवाहों के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी डब्ल्यू 1 में भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है । अपील में अपीलांट की ओर से कुछ दस्तावेजात पेश किये गये हैं यद्यपि इन दस्तावेजों के साथ धारा 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । ये दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत 2016–19 खाता औंकार बेटा रामलाल, नकल जमाबंदी सम्वत 2016–19 खाता गणेश लाल बेटे जगन्नाथ और नकल जमाबंदी सम्वत 2020–49 खाता औंकार पेश किया गया है ।

अपीलांट वादीगण ने यह दावा हक घोषणा का यह कथन करते हुए पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर श्री रामजानकी बिराजमान बीलखेडा की थी जो गलत रूप से रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हुई है । उनके द्वारा जो नकल जमाबंदियां पेश की गई है उनमें से एक्जीविट 4 के अनुसार कुल 7 किता की 22 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । वादी अपीलांटगण द्वारा यह कथन किया गया है कि इसमें से आराजी खसरा नम्बर 439, 521, 548, 585 और 589 कुल 5 किता की आराजी ही वाद की विषयवस्तु है और नकल जमाबंदी एक्जीविट 3 के अनुसार ये 5 किता की आराजी बाबू लाल पुत्र औंकार के खाते में दर्ज है और उसमें नामान्तरकरण संख्या 471 का नोट अंकित है जिसके अनुसार बाबू लाल की मृत्यु हो जाने पर आराजी रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज हुई है । वादी अपीलांट का यह कथन है कि इस आराजी के साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 78 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 4 किता की 12 बीघा 3 बिस्वा थी और यह आराजी माफी श्री रामजानकी बिराजमान गांव बीलखेडा के खाते और कब्जे की थी । नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 के अनुसार यह आराजी माफी रामजानकारी बिराजमान और कब्जा औंकार

बेटा कडोरी व जीविनी बेवा भैरो लाल दज्र हे और नकल जमाबंदी प्रदर्श 2 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 439, 521, 548, 585, 589 कुल 5 किता की 14 बीघा 9 बिस्वा औंकार पुत्र कडोरी के खाते में दर्ज है । अपीलांट के द्वारा मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है, जिससे कि मिलान किया जाकर यह प्रमाणित हो सके कि साबिक खसरा नम्बरों की जो आराजी मन्दिर के खाते में दर्ज है वह वही आराजी है जो औंकार के खाते में दर्ज की गई है । एक शपथ पत्र जो रामस्वरूप के द्वारा पत्रावली में पेश किया गया है उसमें यह अंकित है कि सैटलमेंट विभाग ने खसरा मिलान तैयार नहीं किया है । मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं हो पाया है परन्तु उनके द्वारा मिलान खसरा पेश किया जा सकता था जिसमें कि साबिक और हाल खसरा नम्बर दर्शाया जाता है । उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है जिससे कि यह प्रमाणित हो कि मिलान क्षेत्रफल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था और वह इस कारण से खारिज किया गया हो कि मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है । उन्होंने हाल और साबिक खसरा नम्बरों को दर्शाते हुए नजरी नक्शे की प्रतियां भी पेश नहीं की है, जिससे कि यह प्रमाणित हो कि हाल खसरा नम्बर जो प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है वह वहीं है जो माफी रामजानकी के खाते में दर्ज थी । अपने दावे को सिद्ध करने का भार वादी पर होता है और वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं । मिलान क्षेत्रफल के अभाव में वह तहसील से एक रिपोर्ट प्राप्त कर भी पेश कर सकते थे कि साबिक खसरा नम्बर जो कि माफी रामजानकी के है उनका हाल खसरा नम्बर वही है जो प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । इस प्रकार वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाये हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा खारिज किया जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा